

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

// संशोधित आदेश //

भोपाल, दिनांक 29/06/2019

फा.क्रमांक 3464A/21-ब(दो), राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3464/21-ब(दो) दिनांक 28.06.2019 को निरस्त करते हुये, प्रदेश के प्रत्येक जिले में पदस्थ नियमित संवर्ग के ऐसे समस्त लोक अभियोजन अधिकारियों को, जिनकी सेवा 7 वर्ष या उससे अधिक की है, अपर लोक अभियोजक के रूप में पदाभिहित करता है। संबंधित जिला दण्डाधिकारी उपरोक्तानुसार पदाभिहित अपर लोक अभियोजकों को ऐसे सत्र/अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में अभियोजन के संचालन हेतु, जिनके लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(3) के अधीन नियुक्ति लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक किसी भी कारण से अस्थायी या स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, के उपलब्ध होने तक अधिकृत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29/06/2019

फा0 क्रमांक 3464A/21-ब(दो),
प्रतिलिपि:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन,
2. समस्त आयुक्त, म.प्र.,
3. रजिस्ट्रार जनरल, जबलपुर, म.प्र.
4. समस्त कलेक्टर, म.प्र.,
5. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, म.प्र.,
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.,
7. संचालक लोक अभियोजन संचालनालय, भदभदा रोड़, भोपाल, म.प्र.,
8. माननीय विधि मंत्री महोदय जी के निज सचिव,
9. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स भोपाल (म0प्र0) की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. आई.टी. प्रकोष्ठ की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वेबसाईट पर दर्ज सूची अद्यतन करने हेतु प्रेषित।

Pehsloh
Rikshukta
5-7-19

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
05 . IIII 2019
Reg No..... 2566
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

(गोपाल श्रीवास्तव)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 28/06/2019

फा0कमांक 3464/21-ब(दो), राज्य शासन, एतद्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में पदस्थ नियमित संवर्ग के ऐसे समस्त लोक अभियोजन अधिकारियों को, जिनकी सेवा 7 वर्ष या उससे अधिक की है, अपर लोक अभियोजक के रूप में पदाभिहित करता है। संबंधित जिला दण्डाधिकारी उपरोक्तानुसार पदाभिहित अपर लोक अभियोजकों को ऐसे सत्र/अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में अभियोजन के संचालन हेतु, जिनके लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) के अधीन नियुक्ति लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक किसी भी कारण से अस्थायी या स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, अधिकृत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28/06/2019

फा0 कमांक 3464/21-ब(दो),
प्रतिलिपि:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन,
2. समस्त आयुक्त, म.प्र.,
3. रजिस्ट्रार जनरल, जबलपुर, म.प्र.
4. समस्त कलेक्टर, म.प्र.,
5. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, म.प्र.,
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.,
7. संचालक लोक अभियोजन संचालनालय, भदभदा रोड़, भोपाल, म.प्र.,
8. माननीय विधि मंत्री महोदय जी के निज सचिव,
9. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स भोपाल (म0प्र0) की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. आई.टी. प्रकोष्ठ की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वेबसाईट पर दर्ज सूची अधतन करने हेतु प्रेषित।

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग